न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22	07.09.2022	28.12.2022

पीठासीन अधिकारी :- हरबिन्दर सी0 सिंह (आर.ए.एस.)

1. जुगल किशोर पुत्र छोट्या उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम एबरा तहसील दीगोद
2. ज्योति बाई पुत्री छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम एबरा तहसील दीगोद
3. निर्मला बाई पुत्री छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम एबरा तहसील दीगोद
4. संगीता बाई पुत्री छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद
5. सरोज बाई पुत्री छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद
6. रोशन बाई पत्नी छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा निवासी ग्राम एबरा तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :- श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

-: निर्णय :-

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम एबरा तहसील दीगोद में खाता संख्या 22 नया पुराना नम्बर 20 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 171 रकबा 0.05 है0, 227 रकबा 0.25 है0, 228 रकबा 1.58 है0, 229 रकबा 1.40 है0 कुल किता 4 रकबा 3.28 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि वादनी के पिता का नाम छोटया व गोपाल है तथा दोनो नामों से उनको पुकारा जाता था। किन्तु उक्त भूमि कुल किता 4 रकबा 3.28 है0 जो कि विरासत से दर्ज हुई है। इंतकाल खोलते समय पटवारी हल्का ने जो मौका परचा जांच वारिसा बनाया है उसमे वादीगण के पिता का नाम छोटया उर्फ गोपाल दर्ज है। तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वादीगण के पिता का नाम छोट्या उर्फ गोपाल ही दर्ज है। यह कि वादीगण के पिता का बोलता नाम छोट्या है तथा वास्तविक नाम गोपाल है। इस कारण राजस्व रिकार्ड मे छोट्या के स्थान पर छोट्या उर्फ गोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि इसी प्रकार वादीगण की जाति बैरवा है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे चमार दर्ज है जब कि अन्य जमाबंदी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 34 मे दर्ज खसरा नम्बर 195 की 0.59 है0 भूमि पर वादीगण की जाति बैरवा दर्ज है उसके स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस कारण दोनो खातो मे छोटया के स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल तथा खाता संख्या 22 मे अंकित जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादीगण [illegible] म छोटया के स्थान पर उर्फ गोपाल जाति चमार के स्थान बैरवा दर्ज किया जाकर रि[illegible] दुरुस्त किया जाना आवश्यक स संबंध में वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 16.08.2022 को प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम व जाति दुरुस्त नही करने पर दुरुस्त करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 171 की 0.05 है0, 227 की 0.25 है0, 228 की 1.58 है0, 229 की 1.40 है0 कुल किता 4 रकबा 3.28 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम छोटया के स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल तथा जाति चमार के स्थान पर बैरवा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। यह कि एबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 195 की 0.59 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम छोटया उर्फ गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारीत की जावे। यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादीगण के पिता का नाम छोटया जाति चमार के स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर कि ग्राम ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 171 की 0.05 है0, 227 की 0.25 है0, 228 की 1.58 है0, 229 की 1.40 है0 कुल किता 4 रकबा 3.28 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम छोटया जाति चमार के स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल जाति बैरवा दर्ज किये जाने तथा ग्राम ऐबरा के खसरा नम्बर 195 की 0.59 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम छोटया के स्थान पर छोटया उर्फ गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कुलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज०)